



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 486

दिनांक 23-6-17

प्रति,

प्राचार्य,

श्री गुरु हरीकिशन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन
रतलाम।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनिष्ठा क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में,

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक/9 दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन निकाय/नवीन विषय सीट संख्या वृद्धि की जाने/संयोजित निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2017 में परीक्षा किया गया जिसमें निर्णय लिया गया कि, गुरु हरिकिशन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, रतलाम में सत्र 2017-18 में बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017-18 में बी.एड. पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की जाये।


उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017-18 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् को अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नलिखित अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.एड.	100

शर्त :-01. प्रयोगशाला का उन्नयन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक शर्त से पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/ 487

प्रतिलिपि:-

दिनांक 23-6-17

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरंतरता